बंटवारा वाद संख्या I 352 / 2019

16.02.2023 वादी अनुपस्थित है। वाद पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं हुए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद में सिरिस्तेदार प्रतिवेदन में दर्शाया गये त्रुटि का निवारण वादी द्वारा आज तक नहीं किया गया है। वादी को त्रुटि निवारण हेतु काफी समय दिया गया है और न ही कोई वाद से संबंधित पठनीय दस्तावेज दाखिल है जो वादपत्र का समर्थन करता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को अब इस वाद में अग्रिम कार्यवाही करने में कोई अभिरूचि नहीं रह गई है। इस तरह वादपत्र को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए न्यायहित में वादपत्र को खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमनानुसार वादपत्र को अभिलेखागार में जमा करें।

Sd/-
अवर न्यायाधीश,प्रथम,पश्चिमी,
मुजफ्फपुर।